

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर
(निर्णय बर्डजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

(1) अपील संख्या :-145/2016/भीलवाड़ा (2016/00045)

1. रामकरण पुत्र कजोड
2. दीपक पुत्र रामकरण
3. मनोज पुत्र रामकरण
4. अनिल पुत्र रामकरण नाबालिक जरिये संरक्षक पिता रामकरण
सभी जाति माली निवासी ग्राम खारी का लाम्बा तहसील हुखा जिला
भीलवाड़ा

अपीलांटस

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र परसाराम जाति सिन्धी निवासी गुलाबपुरा तहसील हुखा जिला
भीलवाड़ा
2. उषा पुत्री देवाराम जाति सिन्धी निवासी गांधीनगर, तहसील विजयनगर
जिला अजमेर
3. मनोज पुत्र देवाराम जाति सिन्धी निवासी गांधीनगर, तहसील विजयनगर
जिला अजमेर
4. हेमा पत्नी देवाराम जाति सिन्धी निवासी गांधीनगर, तहसील विजयनगर
जिला अजमेर
5. पांची देवी पत्नी हजारी जाति गुर्जर निवासी शिवनगर तहसील हुखा जिला
भीलवाड़ा

रेस्पोडेंटस

**अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरुद्ध निर्णय
विद्वान उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा दिनांक 21.11.2016 अंतर्गत
प्रकरण संख्या 02/2014.**

उपस्थित:-

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री सी0पी0 शर्मा, अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 1
3. श्री हेमसिंह राठौड अभिभाषक रेस्पो0 सं0 5
4. रेस्पो0 सं0 2 से 4 अनुपस्थित

(2) अपील संख्या :-182017/भीलवाड़ा (2017/00050)

1. पांची देवी पत्नी हजारी जाति गुर्जर निवासी शिवनगर तहसील हुखा जिला
भीलवाड़ा

अपीलांत

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र परसाराम जाति सिन्धी निवासी गुलाबपुरा तहसील हुस्डा जिला भीलवाडा
 2. उषा पुत्री देवाराम जाति सिन्धी निवासी गांधीनगर, तहसील विजयनगर जिला अजमेर
 3. मनोज पुत्र देवाराम जाति सिन्धी निवासी गांधीनगर, तहसील विजयनगर जिला अजमेर
 4. हेमा पत्नी देवाराम जाति सिन्धी निवासी गांधीनगर, तहसील विजयनगर जिला अजमेर
 5. रामकरण पुत्र कजोड
 6. दीपक पुत्र रामकरण
 7. मनोज पुत्र रामकरण
 8. अनिल पुत्र रामकरण
- समस्त जाति माली, निवासीगण खारी का लाम्बा तहसील हुस्डा जिला भीलवाडा

रेस्पोंडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा, जिला भीलवाडा दिनांक 21.11.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 02/2014.

उपस्थित:-

1. श्री हेमसिंह राठौड, वकील अपीलांत ।
2. श्री सी०पी० शर्मा, अभिभाषक रेस्पोंड संख्या 1
3. रेस्पोंड सं० 2 से 8 अनुपस्थित

(3) अपील संख्या :-8/2017/भीलवाडा (2017/00011)

1. रामकरण पुत्र कजोड
2. दीपक पुत्र रामकरण
3. मनोज पुत्र रामकरण
4. अनिल पुत्र रामकरण नाबालिक जरिये संरक्षक पिता रामकरण सभी जाति माली निवासी ग्राम खारी का लाम्बा तहसील हुस्डा जिला भीलवाडा

अपीलांतस

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र परसाराम जाति सिन्धी निवासी गुलाबपुरा तहसील हुडा जिला भीलवाडा
2. उषा पुत्री देवाराम जाति सिन्धी निवासी गांधीनगर, तहसील विजयनगर जिला अजमेर
3. मनोज पुत्र देवाराम जाति सिन्धी निवासी गांधीनगर, तहसील विजयनगर जिला अजमेर
4. हेमा पत्नी देवाराम जाति सिन्धी निवासी गांधीनगर, तहसील विजयनगर जिला अजमेर
5. पांची देवी पत्नी हजारी जाति गुर्जर निवासी शिवनगर तहसील हुडा जिला भीलवाडा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, हुडा जिला भीलवाडा

रेस्पोंडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान तहसीलदार, हुडा जिला भीलवाडा दिनांक 28.12.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 03/2016.

उपस्थित:-

1. श्री मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक अपीलांटस ।
2. श्री सी०पी० शर्मा अभिभाषक रेस्पों संख्या 1
3. रेस्पोंसं० 2 से 5 अनुपस्थित
4. राजकीय अभिभाषक श्री बी०एस० शेखावत ।

निर्णय

दिनांक :- 29.01.2020

अपीलांट ने दो अलग-अलग अपीलें विद्वान उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा जिला भीलवाडा (संक्षेप में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.11.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत एवं एक अपील विद्वान तहसीलदार (भू.अ.) हुडा जिला भीलवाडा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं तीनों अपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने तथा कानूनी विवाद बिन्दु समान होने से तीनों अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक-पृथक संधारित की जावे । xx

- 1- तीनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि विवादित आराजीयात खसरा नं० 668 वाके ग्राम शिवनगर तहसील हुर्डा में से 5 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 21.01.1986 को मूलचन्द पुत्र परसराम सिन्धी को किया गया था। जिसका खसरा नं० 856/668 कायम किया गया। आवंटी मूलचन्द पुत्र परसराम के जिन्दा रहते मनोज पुत्र रामकरण ने आवंटी को मृत बताते हुए एक गलत शपथ पत्र निष्पादित कर बनावटी एवं झूठे तथ्य अंकित करते हुए मूलचन्द को मनोज के पिता देवाराम का नाना बतलाते हुए और उसकी मृत्यु दिनांक 13.07.1965 को होना अंकित करते हुए, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया तथा मूलचन्द को गागेडा (शिवनगर) का निवासी बताते हुए और उसकी मृत्यु गागेडा में होना दर्शित किया एवं फर्जी तौर पर मूलचन्द की पुत्री ईश्वरी देवी को दिखाते हुए देवाराम व जेठानन्द को ईश्वरी देवी का पुत्र दर्शाया तथा देवाराम व जेठानन्द को फौत दर्शाते हुए जेठानन्द के वारिसान प्रकाश, प्रताप, ललिता, डिम्पल व मुन्नी दर्शाते हुए फर्जी नामान्तरकरण निष्पादित करवाया गया। देवाराम ने अपने नाम उक्त गलत इन्द्राज कराने के बाद दिनांक 28.09.2010 को मंजू देवी पत्नी रामकरण जाति माली निवासी खारी का लाम्बा को बेचान कर दिया। जिसका नामान्तरकरण संख्या 1079 दिनांक 21.10.2010 को तस्दीक किया गया। मंजू देवी ने दिनांक 23.08.2012 को पांची देवी के हक में विक्रय कर दिया, जिसका नामान्तरकरण संख्या 1211 तस्दीक किया गया। चूंकि नामान्तरकरण संख्या 951 दिनांक 20.03.2008 फर्जी आधारहीन होकर निरस्त करने योग्य है एवं इस नामान्तरकरण के आधार पर मंजू देवी व पांची देवी के नाम किये गये सभी इन्द्राज स्वतः निरस्त करने योग्य है।
- 2- मूलचन्द पुत्र परसराम सिन्धी द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 951 दिनांक 20.03.2008 के विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के समक्ष अपील संख्या 2/2014 उपरोक्त आधारों पर प्रस्तुत किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.11.2016 से विवादित नामान्तरकरण संख्या 951 दिनांक 20.03.2008 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, हुर्डा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि वह स्वयं प्रकरण की जांच कर बाद सुनवाई विस्तृत विवेचन कर नव निर्णय पारित करें। अधी० अपीलीय न्याया० के आदेश दिनांक 21.11.2016 से अप्रसन्न होकर दो अपीलें 145/2016 (2016/00045), अपील संख्या 18/2017 (2017/00050) प्रस्तुत की गई है तथा उक्त रिमाण्ड आदेश की पालना में तहसीलदार, हुर्डा द्वारा प्रकरण को पुनः दर्ज कर पारित निर्णय दिनांक 28.12.2016 द्वारा विवादित आराजी खसरा नं० 856/668 रकबा 5 बीघा मूल आवंटी मूलचन्द पिता परसराम जाति सिन्धी निवासी गुलाबपुरा के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये। अधी० न्याया० के आदेश दिनांक 28.12.2016 से अप्रसन्न होकर एक अपील 8/2017 (2017/00011) प्रस्तुत की गई है
- 3- अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों को नोटिस जारी किये गये। अपील संख्या 145/2016 (2016/00045), अपील संख्या 18/2017

(2017/00050) के रेस्पोंडेंट्स के अभिभाषका अनुपस्थित । अपील संख्या 3/2017 (2017/0001) के रेस्पोंडेंट संख्या 1 के उपस्थित होने पर तथा अधीन न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांत व रेस्पोंडेंट की बहस सुनी गई । xx

- 4- सर्वप्रथम उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के निर्णय दिनांक 21.11.2016 के विरुद्ध धारा 76 भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपीलों में अपीलांत अभिभाषक की बहस गुणावगुण पर सुनी गई। अपील संख्या 145/2016 (2016/00045), अपील संख्या 18/2017 (2017/00050) में अपीलांत अभि० ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि नामा०सं० 951 दिनांक 20.03.2008 को ग्राम पंचायत, गागेडा पंचायत समिति, हरडा द्वारा देवाराम व जेठानन्द के वारिसान प्रकाश, प्रताप, ललिता, डिम्पल व मुन्नी तस्दीक किया गया। देवाराम ने दिनांक 28.09.2010 को मंजू देवी पत्नी रामकरण जाति माली निवासी खारी का लाम्बा को बेचान कर दिया। जिसका नामान्तरकरण संख्या 1079 दिनांक 21.10.2010 को तस्दीक किया गया। मंजू देवी ने दिनांक 23.08.2012 को पांची देवी के हक में विक्रय कर दिया, जिसका नामान्तरकरण संख्या 1211 तस्दीक किया गया। रेस्पोंडेंट सं० 1 मूलचन्द ने उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के समक्ष नामा०सं० 951 के विरुद्ध 6 वर्ष मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की थी जिसमें अपीलांत को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एवं युक्तियुक्त जांच किये बिना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं कानूनी प्रावधानों का सही तौर पर विवेचन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। मूलचन्द ने अधि० अपीलीय न्याया० के समक्ष प्रस्तुत अपील के पैरा सं० 9 में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील के साथ अलग से पेश होने के तथ्य अंकित किये हैं परन्तु अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं है। ऐसी स्थिति में मूलचन्द द्वारा अधि० अपीलीय न्याया० के समक्ष प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टया संधारण योग्य ही नहीं थी एवं अधि० अपीलीय न्याया० द्वारा मियाद के बिन्दु को निर्णित किये बिना अवैधानिक रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपी० अभि० द्वारा अपने कथन के समर्थन में RBJ 2010 P-289, RBJ 2006 P-78, DNJ 1998 P-767, DNJ 1998 P-223, RRT 2017 P-1328, RBJ 2007 P-438, RBJ 2010 P-290 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.11.2016 निरस्त किया जावे।
- 5- अपीलांत की उक्त बहस के जवाब में रेस्पोंडेंट अभि० ने तर्क दिया कि धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत विधि विरुद्ध तरीके से किये गये अपराधिक कृत्यों के द्वारा मिली भगती से पारित कराये गये आदेश के विरुद्ध विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने पर भी अपील को अन्दर मियाद मान कर सुनवाई किया जाना संगत है। अपने कथन के समर्थन में RBJ 2019 P-436, RBJ 2018 P372-373, RBJ 2014 P-472, RBJ 2011 P-330, RBJ 2004 P-286, RBJ 2010 P-407, DNJ 2012 P-1157, RBJ 2016 P-679 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। अपनी बहस में उन्होंने आगे कथन किया कि नामा०सं०

951 दिनांक 20.03.2008 फर्जकारी कर ग्राम पंचायत से तस्दीक करवाया गया था। जिसकी अपील किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.11.2016 से अपील स्वीकार कर नामा०सं० 951 दिनांक 20.03.2008 निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, हुडा को प्रकरण के तथ्यों की जांच कर बाद सुनवाई विस्तृत विवेचन कर नव निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 28.12.2016 द्वारा विवादित आराजी खसरा नं० 856/668 रकबा 5 बीघा मूल आवंटी मूलचन्द पिता परसराम जाति सिन्धी निवासी गुलाबपुरा के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जा चुके हैं क्योंकि उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के आदेश की पालना की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें प्रभावहीन हो चुकी हैं, जिन्हें प्रभावहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

- 6- अपीलांट द्वारा तहसीलदार (भू.अ.) हुडा के निर्णय दिनांक 28.12.2016 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत अपील संख्या 8/2017 (2017/00011) पर बहस सुनी गई। अपी० अभि० ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार, हुडा द्वारा प्रार्थी को विधिवत नोटिस दिये बिना एवं साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है। जो प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरित है। तहसीलदार ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट ने खातेदार देवाराम पुत्र मोतीराम विवादित आराजीयात पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 28.09.2010 से खरीद की है। जिसका नामान्तरकरण संख्या 1211 अपीलांट के नाम स्वीकृत किया गया था। तहसीलदार ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि मूल खातेदार का स्वर्गवास दिनांक 13.07.1965 को हो चुका है एवं ग्राम पंचायत गागेडा के जन्म मृत्यु रजिस्टर में इसका इन्द्राज कम सं० 15 दिनांक 08.08.2015 पर किया हुआ है। इस कारण जो व्यक्ति मर चुका है, वह कैसे जीवित होकर अपील कर सकता है और रेस्पों सं० 1 ने अपने आप को मूलचन्द पुत्र परसराम होकर जीवित होना बताते हुए भूमि को हडप करने की गरज से यह कार्यवाही की है। तहसीलदार ने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के रिमाण्ड आदेश दिनांक 21.11.2000 के विरुद्ध अपीलांट ने माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर के यहां अपील प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 29.11.2016 को अपील दर्ज करते हुए अधि०न्यायाय० के रिकार्ड तलब करने के आदेश प्रदान किये। इस प्रकार तहसीलदार, हुडा ने क्षेत्राधिकार विहित आदेश पारित किया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

- 7- अपीलांट की उक्त बहस के जवाब में अभि०रेस्पो० ने तर्क दिया कि तहसीलदार, हुरडा द्वारा विधिवत रूप से सम्पूर्ण जांच कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। देवाराम पुत्र मोतीराम एवं जेठानन्द के वारिसान द्वारा फर्ज कारी कर मूल आवंटी मूलचन्द पुत्र परसराम को मृत बताते हुए नामा०सं० 951 दिनांक 20.03.2008 ग्राम पंचायत, गागेडा से स्वीकृत कराया था जबकि रेस्पो०सं० 1 मूल आवंटी मूलचन्द पुत्र परसराम स्वयं जीवित है। तहसीलदार ने उक्त तथ्यों के मध्यनजर आराजी खसरा नं० 856/668 रकबा 5 बीघा ग्राम शिवनगर रेस्पो०सं० 1 मूल आवंटी मूलचन्द पुत्र परसराम, जाति सिन्धी निवासी गुलाबपुरा के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये है। जो पूर्णतय विधिवत होने से अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।
- 8- सर्वप्रथम हमने उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के निर्णय दिनांक 21.11.2016 के विरुद्ध धारा 76 भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपील संख्या 145/2016 (2016/00045), अपील संख्या 18/2017 (2017/00050) के पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी०न्याया० के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषकगण की बहस एवं प्रस्तुत न्यायिक नजीरों पर मनन किया । हम रेस्पोडेंट अभि० के इस तर्क सहमत है कि नामा०सं० 951 दिनांक 20.03.2008 के विरुद्ध अपील किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.11.2016 से अपील स्वीकार कर नामा०सं० 951 दिनांक 20.03.2008 निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, हुरडा को प्रकरण के तथ्यों की जांच कर बाद सुनवाई विस्तृत विवेचन कर नव निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज कर अपने निर्णय दिनांक 28.12.2016 द्वारा विवादित आराजी खसरा नं० 856/668 रकबा 5 बीघा मूल आवंटी मूलचन्द पिता परसराम जाति सिन्धी निवासी गुलाबपुरा के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जा चुके है क्योंकि उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के आदेश की पालना की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें प्रभावहीन हो चुकी है, अतः उभयपक्ष अभि० द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधियिम के न्यायिक दृष्टांत उपरोक्त दोनों अपीलों पर चस्पा नहीं होते है इसलिए हम उक्त दोनों अपीलों के गुणावगुण पर विवेचन किये बिना उक्त दोनों अपीलों प्रभावहीन होने के कारण निरस्त किया जाना उचित समझते है।
- 9- अपीलांट द्वारा तहसीलदार (भू.अ.) हुरडा की निर्णय दिनांक 28.12.2016 के विरुद्ध धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपील संख्या 8/2017 (2017/00011) के पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी०न्याया० के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । प्रकरण में तहसीलदार, हुरडा से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार, हुरडा ने उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.11.2016 में दिये गये निर्देशों

की पूर्ण पालना किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। तहसीलदार, हुरडा द्वारा दिनांक 26.12.2016 को प्रकरण दर्ज कर आगामी पेशी दिनांक 28.12.2016 नियत की तथा दिनांक 28.12.2016 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार, हुरडा द्वारा ना तो अपीलांट पर विधिवत नोटिस तामील कराये गये है एवं ना ही अपीलांट को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है और ना ही प्रकरण की युक्तियुक्त जांच करवाई गई है। जबकि तहसीलदार, हुरडा को उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के निर्देशों की पूर्ण पालना करनी चाहिये थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विवेचन किये बिना हम उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार, हुरडा को पुनः प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे प्रकरण से संबंधित सभी पक्षकारों को पुनः सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देकर एवं प्रकरण के संबंध में समुचित जांच कर पुनः युक्तियुक्त निर्णय पारित करें।

-:क्रियात्मक आदेश:-

- 10- अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के निर्णय दिनांक 21.11.2016 के विरुद्ध धारा 76 भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपील संख्या 145/2016 (2016/00045), अपील संख्या 18/2017 (2017/00050) प्रभावहीन होने से निरस्त की जाती है। तहसीलदार (भू.अ.) हुरडा की निर्णय दिनांक 28.12.2016 के विरुद्ध धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपील संख्या 8/2017 (2017/00011) को आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार, हुरडा को पुनः प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे प्रकरण से संबंधित सभी पक्षकारों को पुनः सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देकर एवं प्रकरण के संबंध में समुचित जांच कर पुनः युक्तियुक्त निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक-पृथक संधारित की जावे।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 29.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

